संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
म.प्र.

क्रमांक/ अ.प्र./2015/367 भोपाल, दिनांक/0 /7 /2015

प्रति,

1.समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
2.समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
3.समस्त सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक
मध्य प्रदेश।

विषयः—जेल में बंद बंदियों के उपयुक्त ईलाज व जाँच सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में।

प्रदेश के विभिन्न बंदीगृहों में कैद बंदियों के उपचार व जाँच की सुविधा उपलब्ध कराने के लिये चिकित्सा अधिकारी पदस्थ/नामांकित किये गये हैं एवं बंदियों को बीमार पड़ने पर तत्काल जेल में पदस्थ/नामांकित चिकित्सा अधिकारी को दिखाया जाता है एवं आवश्यकता पड़ने पर उन्हें चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार उपलब्ध कराया जाता है। हाल ही में कुछ ऐसे प्रकरण सामने आये हैं जिनमें मानव अधिकार आयोग द्वारा बंदियों को चिकित्सा अधिकारियों द्वारा पूरी गंभीरता से न देखने पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके जिले में जिले/अन्य विकासखंडों पर स्थित जेलों में कैदियों के स्वास्थ्य की जाँच हेतु पदस्थ/नामांकित चिकित्सा अधिकारियों को लिखित मे निर्देश जारी करें कि रोगियों की जेल में कैद हेतु लाये जाने के समय अथवा उसके पश्चात कैदी के बीमार होने पर जाँच हेतु बुलाये जाने पर कैदियों के स्वास्थ्य की पूरी गंभीरता पूर्वक जाँच की जाये तथा सभी आवश्यक जाँचें करायी जायें। चिकित्सालय में भर्ती कर ईलाज करने की आवश्यकता होने पर रोगी को तत्काल बीमारी के अनुसार समुचित स्तर के चिकित्सालय में भर्ती कर उपचार उपलब्ध कराया जाये।

बीमार बंदी की स्वास्थ्य संबंधी शिकायतें एवं स्वास्थ्य की जाँच को सही प्रकार से विस्तार पूर्वक सुवाच्य हस्तलिपि में दर्ज करें। यदि बंदी को सामान्य बीमारी है जिसका ईलाज बंदीगृह में रहते हुये ही किया जा सकता है तो उनके स्वास्थ्य की नियमित अंतराल में जाँच की जाये जब तक वे पूर्णतः स्वस्थ नहीं हो जाते। आवश्यकता पड़ने पर रोगी को उनके रोग के अनुसार विशेष भोजन दिये जाने की अनुशंसा करें।

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अस्प.प्रशा.)
म.प्र.भोपाल

पृ.क्रमांक/अ.प्र./2015/ भोपाल, दिनांक / /2015

प्रतिलिपिः— सूचनार्थ

1) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, भोपाल, म.प्र.।
2) प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जेल विभाग, भोपाल, म.प्र.।
3) आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें म.प्र, भोपाल।
4) डायरेक्टर जनरल, जेल, म.प्र.।
5) मिशन संचालक, एन.आर.एच.एम, बैंक ऑफ इंडिया भवन, तृतीय मंजिल, अरेरा हिल्स, भोपाल।
6) रजिस्ट्रार, म.प्र. मानव अधिकार आयोग, म.प्र.।

संचालक स्वास्थ्य सेवायें
(अस्प.प्रशा.)
म.प्र.भोपाल